दिनांक 05.08.2019 को सांयः 03:30 बजे श्री आर.एस. वर्मा, भा0प्र0से0, उपायुक्त रोहतक की अध्यक्षता में NGT के आदेश दिनांक 06.03.2019 की अनुपालना हेतु/जिला स्तरीय निगरानी समिति, रोहतक की आठवीं बैठक की कार्रवाई रिर्पोट

बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुएः–

1. श्री प्रदीप गोदारा, भा0प्र0से0, आयुक्त, नगर निगम रोहतक।
2. श्री डी.के. आहुजा, अधीक्षक अभियन्ता, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, रोहतक।
3. श्री कृष्ण कुमार, आर.ओ., हरियाणा राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, बहादुरगढ़।
4. डा0 अनिल बिरला, सिविल सर्जन, स्वास्थ्य विभाग, रोहतक।
5. डा0 टी.एस. बागड़ी, उप सिविल सर्जन, स्वास्थ्य विभाग, रोहतक।
6. श्री अनिल रोहिल्ला, कार्यकारी अभियन्ता, प्रान्तीय मण्डल न0. 1, लोक निर्माण विभाग (भवन तथा मार्ग शाखा), रोहतक।
7. श्री राहुल, कार्यकारी अभियन्ता, प्रान्तीय मण्डल न0. 3, लोक निर्माण विभाग (भवन तथा मार्ग शाखा), रोहतक।
8. श्री भानु प्रकाश, कार्यकारी अभियन्ता, जनस्वास्थय अभियान्त्रिकी विभाग, प्रान्तीय मण्डल–2, रोहतक।
9. श्री रणजीत सिंह, कार्यकारी अभियन्ता, जनस्वास्थय अभियान्त्रिकी विभाग, प्रान्तीय मण्डल–3, रोहतक।
10. श्री परांक, गर्ग, कार्यकारी अभियन्ता, जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, प्रान्तीय मण्डल–1, रोहतक।
11. श्री सुनील सचदेवा, कार्यकारी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग (भवन तथा मार्ग शाखा), रोहतक।
12. श्री जे.एस. दहिया, कार्यकारी अभियन्ता, महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक।
13. श्रीमती सुमन लता, सचिव, नगर पालिका, सांपला।
14. श्री अरूण नांदल, सचिव, नगर पालिका कलानौर।
15. श्री दीपक कुमार, सचिव, मार्किट कमेटी, सांपला।
16. श्री दीपक लोहचब, सचिव, मार्किट कमेटी, रोहतक।
17. श्री आशिष कुमार, सचिव, नगर पालिका, महम।
18. श्री प्रमिन्दर वर्मा, DMC, PGIMS, रोहतक।
19. श्री सुखबीर सिंह, DMC, PGIMS, रोहतक।
20. श्री आर.एस. हुड्डा, एस.डी.ई., हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, रोहतक।
21. श्री सतीश, एस.डी.ई, महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक।
22. श्री पवन कुमार, एस.डी.ई. (ई), हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, रोहतक।
23. श्री एच.एस. नारंग, अधीक्षक, महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक।

बैठक में सभी का स्वागत करते हुए दिनांक 26.07.2019 की बैठक में दिए गए निर्देशों की पालना की प्रगति की समीक्षा की गईः–

1. बैठक में अध्यक्ष महोदय को सूचित किया गया कि माननीय NGT व Waste Management Rules की पालना के लिए पहले निम्नलिखित बैठक आयोजित की जा चुकी हैः–
   1. दिनांक 12.04.2019
   2. दिनांक 29.04.2019
   3. दिनांक 09.05.2019
   4. दिनांक 28.05.2019
   5. दिनांक 18.06.2019
   6. दिनांक 08.07.2019
   7. दिनांक 26.07.2019

2. दिनांक 26.7.2019 की बैठक में दिए गए निर्देशों की पालना में नगर निगम रोहतक व महम, कलानौर व सांपला, नगर पालिका द्वारा निम्नलिखित कार्रवाई की गई:–

नगर निगम / नगर पालिका	Door to Door	Source Segregation	Plastic Waste Challan	Challan Amount	Malba, Garbage, Dustbins	Challan Amnout	C & D Waste	Challan Amount
रोहतक	100 %	70 %	66	74,800	303	1,15,700	31	46500
सांपला	100 %	नगर पालिका द्वारा डोर–टू–डोर कलैक्शन हेतु प्रयोग में लाए जा रहे वाहनों में गीला सूखा कूड़ा एकत्रित करने के लिए कम्पार्टमैन्ट किए हुए है व नगर पालिका द्वारा टीम गठित करके वार्ड वाईज घर–2 जाकर आमजन को गीला–सूखा कूडा अलग–अलग एकत्रित करने बारे जागरूक किया जा रहा है। नगर पालिका क्षेत्र में लगभग 450 यूनिट द्वारा गीला–सूखा कूड़ा अलग–अलग एकत्रित किया जा रहा है।	17	8500/-	4	700/-	8	800/-
कलानौर	100 %	10 %	27	13500/-	0	0	5	25000/-
महम	100 %	20%	11	92000/-	0	0	0	0

3. नगर निगम रोहतक ने प्लास्टिक वेस्ट के समाधान के लिए एक Recycler को रजिस्टर्ड किया है, यह शहर में स्थित सभी कबाडियों/कूड़ा बीनने वालों से प्लास्टिक की बोतलों को खरीदता है, उसके पश्चात उन बोतलों को Compress कर उनके बंडलों को दिल्ली पुनः दाने के निर्माण के लिए भेजता है।
4. नगर निगम रोहतक ने Plastic Waste Recycler व E-Waste Recycler को रजिस्ट्रर्ड करने के लिए दिनांक 02.08.2019 को विज्ञापन दिया है तथा अन्तिम तिथि 7.8.2019 है।
5. नगर निगम रोहतक ने C & D Waste के डिस्पोजल के लिए सुनारियां जेल रोड पर 8 एकड़ जमीन की नोटिफिकेशन जारी कर दी है, जगह पर नगर निगम रोहतक क्षेत्र के सभी प्रकार का C & D Waste डाला जायेगा। इस वेस्ट को Process करने के लिए भी ई–निविदा आमन्त्रित की जा रही है।
6. नगर निगम रोहतक द्वारा दिनांक 30.07.2019 को सांय 3.00 बजे नगर निगम कार्यालय में Bulk Waste Generator व सभी NGO's के लिए Wet Waste Processing की विस्तृत जानकारी, उनके समाधान के लिए बैठक का आयोजन किया है तथा उन्हें Wet Waste Processing के लिए प्रेरित किया।
7. नगर निगम रोहतक ने अपने–अपने सभी 22 वार्डो के लिए माननीय NGT के आदेशों की पालना के लिए नोड़ल अधिकारी नियुक्त कर दिए है, जो दिनांक 20.8.2019 तक माननीय NGT के आदेशों की पालना करवाना सुनिश्चित करेंगे।
8. उपायुक्त, रोहतक ने समीक्षा के दौरान निम्नलिखित दिशा–निर्देश दिए:–

1. सभी कार्यालय अध्यक्ष अपनी–अपनी बैठकों, आयोजन में प्लास्टिक की बोतलों का प्रयोग नहीं करेंगे। इसके लिए मिट्टी की बोतलों या कांच की बोलतों का प्रयोग किया जाये। इसके अतिरिक्त Plastic Waste Management Rules 2016 की पालना सुनिश्चित करते हुए बैंकटहालों, होटलों में भी Plastic Bottles को बन्द करवाते हुए मिट्टी के बर्तन व बोतलों के प्रयोग को बढ़ावा दिया जाए।
2. सभी प्रकार के धार्मिक आयोजनों, भंडारों आदि में प्लास्टिक डिस्पोजल का प्रयोग न हो, इसके लिए नगर निगम, नगर पालिकाएं उनका नियमित रूप से निरीक्षण करें व उनके लिखित में भी दिशा–निर्देश जारी करें। नगर निगम क्षेत्र में होने वाले आयोजन की NOC उपायुक्त कार्यालय द्वारा दी जाती है उसकी एक प्रति मुख्य सफाई निरीक्षक, नगर निगम रोहतक को अवश्य की जाए। इसके अतिरिक्त निगरानी कमेटी के आदेशों की पालना न करने वालों पर जुर्माना कर जुर्माना वसूल कर नगर निगम में जमा करवाएं।
3. सभी होटल, बैंकटहाल, शिक्षण संस्थान, विश्वविद्यालयों, मार्किट कमेटी अपने–अपने संस्थान परिसर में ही Wet Waste Process करना, उसकी खाद बनाना सुनिश्चित करेंगे। क्षेत्रीय अधिकारी, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, बहादुरगढ़ द्वारा निरीक्षण कर इस प्रक्रिया को न अपनाने वाले संस्थानों का चालान किया जाएं व आवश्यक कार्रवाई की जाए। इसकी प्रगति रिर्पोट क्षेत्रीय अधिकारी, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, बहादुरगढ दिनांक 16.08.2019 को प्रस्तुत करें।
4. हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की भिवानी रोड़ से दिल्ली रोड़ तक 60 मीटर रोड़ पर दोनों तरफ सुनारियां व कन्हेली के पास निर्माण सामग्री मलबा डाला जा रहा है, जिस पर हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण दिनांक 10.08.2019 तक सड़क के दोनों तरफ पड़े मलबे को बिछवाकर, मिट्टी डलवाना व भविष्य में वहां पर किसी प्रकार का मलबा न पड़ना सुनिश्चित करें। उल्लंघना पर नगर निगम रोहतक हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण को चालान काटना व जुर्माना सुनिश्चित करें।
5. लोक निर्माण विभाग (भवन तथा मार्ग शाखा) रोहतक के प्रतिनिधि (कार्यकारी अभियन्ता) को पुराने बस स्टैंड क्षेत्र व पुराने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय परिसर में पडे मलबे को दिनांक 30.07.2019 तक साफ करवाने के निर्देश दिए थे, परन्तु कार्रवाई न होने पर उपायुक्त महोदय ने असन्तोष व्यक्त करते हुए तथा अन्तिम अवसर देते हुए दिनांक 10.08.2019 तक समस्त मलबा साफ करवाकर रिर्पोट करने के निर्देश दिए।
6. अध्यक्ष महोदय ने जिले के सभी विभागाध्यक्ष को निर्देश दिए गए कि उनके कार्यालयों में गीले व सूखे कूड़े के लिए हरे व नीले रंग के कूड़ेदान रखे जाने सुनिश्चित करें इसके अतिरिक्त उनकी प्रतिदिन सफाई भी सुनिश्चित की जाए। इनका निरीक्षण नगराधीश, रोहतक द्वारा कर उपायुक्त रोहतक को रिर्पोट प्रस्तुत की जाए।
7. बैठक में आयुक्त, नगर निगम रोहतक ने सभी सम्बोधित करते हुए उन्हें अपने–अपने घरों में गीले कूड़े को अलग एकत्रित करने व Wet Waste Process करने के लिए प्रेरित किया। सभी Bulk Waste Generator को गीले कूड़े के समाधान के लिए प्रोत्साहित किया। इसके अतिरिक्त सभी उपस्थित से अनुरोध किया कि वे अपने–अपने घरों, संस्थानों के अतिरिक्त अपने आस–पास व मित्रों को भी गीले कूड़े से खाद बनाकर उसे अपने घर के किचन गार्डन या पार्क में प्रयोग करने के लिए प्रेरित किया। नगर निगम द्वारा इस अभियान को 30 अगस्त तक पूर्ण करना है। इसके

लिए नगर निगम प्रेरित करने के साथ–साथ चालान काटना व जुर्माना वसूल करना भी सुनिश्चित करेगा।

8. बैठक में अध्यक्ष महोदय ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा अपने C & D Waste के लिए साईट निर्धारित न करने, गीले कूड़े के लिए कम्पोस्ट पीट न बनाने पर असन्तोष व्यक्त किया तथा निर्देश दिए कि दिनांक 16.08.2019 तक उपरोक्त कार्रवाई सुनिश्चित करें।
9. प्रतिबन्धित प्लास्टिक के लिए सभी अधिकृत अधिकारियों को चालान करने, चालान की राशि नगर निगम में जमा करवाने के निर्देश दिए गए।
10. अध्यक्ष महोदय ने सभी विभागाध्यक्ष, नगर निगम व नगर पालिकाओ को निर्देश दिये कि E-Waste Management Rule, 2016 की पालना सुनिश्चित की जानी हैं। इसके लिए नगर निगम, रोहतक व सभी नगर पालिका इसका व्यापक प्रचार करेंगी। सभी व्यक्तियो, वाणिज्यिक संस्थानों, उद्यौगिक संस्थानों को उनके संस्थान से निकलने वाले Electronic, Electrical व कम्पयूटर आदि वेस्ट को सड़को एवं कूड़ेदान में न फैके। इसके लिए नगर निगम, रोहतक द्वारा E-Waste recycler के आवेदन मांगे हुए हैं, जब तक E-Waste recycler को अंतिम रूप नहीं दिया जाये तब तक सभी संस्थान E-Waste को अपने संस्थान में ही एकत्रित करके रखें।
11. अध्यक्ष महोदय ने सिविल सर्जन, रोहतक को निर्देश दिये कि सभी सरकारी व प्राईवेट नर्सिंग होम तथा हस्पताल का 100 प्रतिशत निरीक्षण कर सुनिश्चित करें कि उनके संस्थान से निकलने वाले Bio-Medical Waste का निष्पादन Bio-Medical Waste Management Rule, 2016 के तहत किया जा रहा हों व सभी Bio-Medical Waste collector के साथ उनका एग्रीमेन्ट उनके पास हों। इस बारे सिविल सर्जन दिनांक 10.8.2019 तक सभी नर्सिंग होम की निरीक्षण रिर्पोट प्रस्तुत करेंगें।
12. अध्यक्ष महोदय ने अन्त में निर्देश दिए कि जिला शिक्षा अधिकारी व जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी दिनांक 10.08.2019 तक अपने सभी विद्यालयों (सरकारी व गैर सरकारी) में विद्यार्थियों को गीले व सूखे कूड़े के विषय में ज्ञान देना, उन्हें अपने–अपने घरों में अलग–अलग एकत्रित करने, प्रतिबन्धित प्लास्टिक का प्रयोग न करने व पौधारोपण के लिए प्रेरित करेंगे। विद्यालय अनुसार चलाई गई गतिविधियों की दिनांक 10.8.2019 तक रिर्पोट भी प्रस्तुत करेंगे।
13. नगर निगम रोहतक क्षेत्र में नगर निगम द्वारा 12 डी–स्लज आपरेटरों को रजिस्ट्रर्ड किया है जो कि स्लज को STP सिंहपुरा पर खाली करेंगे अतः वहां पर स्लज को खाली करने की पूर्ण रिकार्ड रखने के लिए जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग वहां पर एक कर्मचारी की भी डयूटी लगाना सुनिश्चित करें, जो कि STP पर खाली होने वाले टैकरों का रिकार्ड रख सके।
14. जिला शिक्षा अधिकारी, रोहतक व कार्यकारी अभियन्ता, मार्केटिंग बोर्ड, रोहतक के बैठक अनुपस्थित होने पर असन्तोष व्यक्त करते हुए कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। इसके अतिरिक्त भविष्य में NGT की होने वाली बैठक में जिला वन अधिकारी, रोहतक व महाप्रबन्धक, हरियाणा परिवहन, रोहतक को भी उपस्थित होने बारे पत्र लिखा जाए।

उपायुक्त, 5/8/19
रोहतक।

पृ0 कमांक 1483-1502/LFA दिनांक 5/8/2019

इसकी एक–एक प्रति निम्नलिखित को भेजते हुए लिखा जाता है कि मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार व NGT द्वारा इनकी नियमित रूप से समीक्षा की जा रही है। अतः इसे गम्भीरता से लेते हुए दिए गए निर्देशानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करें:–

1. महापौर, नगर निगम रोहतक।
2. प्रशासक, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, रोहतक।
3. आयुक्त, नगर निगम रोहतक।
4. नगराधीश, रोहतक।
5. सम्पदा अधिकारी, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, रोहतक।
6. रजिस्ट्रार, महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक।
7. रजिस्ट्रार, PGIMS, रोहतक।
8. CMO, रोहतक।
9. R.O., हरियाणा राज्य प्रदूषण नियन्त्रण कन्ट्रोल बोर्ड, बहादुरगढ़।
10. डा0 सुखबीर, Dy. M.S., PGIMS, रोहतक।
11. अधीक्षक अभियन्ता, जनस्वास्थय अभियान्त्रिकी विभाग, रोहतक।
12. अधीक्षक अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग (भवन तथा मार्ग शाखा) रोहतक।
13. अधीक्षक अभियन्ता, सिचाई विभाग, रोहतक।
14. GM, HSIIDC, Rohtak.
15. जिला नगर योजनाकार, टाउन एण्ड कन्ट्री प्लानिंग विभाग, रोहतक।
16. कार्यकारी अभियन्ता, डिविजन न. 1, 2 व 3, जनस्वास्थय अभियान्त्रिकी विभाग, रोहतक।
17. कार्यकारी अभियन्ता, डिविजन न. 1, 2 व 3, लोक निर्माण विभाग (भवन तथा मार्ग शाखा) रोहतक।
18. कार्यकारी अभियन्ता, HSAMB, Rohtak.
19. कार्यकारी अभियन्ता (मुख्यालय), नगर निगम रोहतक।
20. कार्यकारी अभियन्ता – I & II, नगर निगम रोहतक।
21. जिला शिक्षा अधिकारी, रोहतक।
22. जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी, रोहतक।
23. सचिव, नगर पालिका, महम, कलानौर व सांपला।
24. प्रधान, नगर पालिका, महम, कलानौर व सांपला।
25. सचिव, मार्किट कमेटी, रोहतक।

उपायुक्त,
रोहतक।

पृ0 कमांक 1508/LFA
-1515 दिनांक 5/8/2019

इसकी एक–एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्रवाई हेतु प्रेषित हैं:–

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, लोक निर्माण विभाग (भवन तथा मार्ग शाखा) चण्डीगढ़।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, चण्डीगढ़।
3. प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग, पंचकूला।
4. मुख्य प्रशासक, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, पंचकूला।
5. मुख्य प्रशासक, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड, पंचकूला।
6. महानिदेशक, शहरी स्थानीय निकाय विभाग, पंचकूला।
7. जिला एवम् सत्र न्यायाधीश, रोहतक।
8. पुलिस अधीक्षक, रोहतक।

उपायुक्त,
रोहतक।